ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/6022/2005/गंगानगर शंकरलाल बनाम मदनलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य

उपस्थितः–
श्री यज्ञदत्त शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी।
श्री अमृतपाल सिंह, अधिवक्ता अप्रार्थी।

––

निर्णय

दिनांक 24–10–19

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपील सं0 66/2003 में पारित किए गए निर्णय दिनांक 19–11–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं, जिसके द्वारा उन्होंने प्रार्थी द्वारा पेश किए गए प्रा0 पत्र बाबत् मृतक राजेन्द्र के वारिसान में रामप्यारी पत्नि भगवानाराम का नाम बतौर राजेन्द्र के वारिस के रूप में दर्ज करने के खारिज कर दिया।

हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी व बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

अधीनस्थ न्यायालय के आदेश व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि राजेन्द्र कुमार की मृत्यु हाने पर उसके वारिसान को पक्षकार बनाए जाने का प्रा0 पेश किया गया, जिसे दिनांक 21–08–2003 को स्वीकार कर राजेन्द्र के वारिसान को अभिलेख पर लिए जाने के आदेश प्रदान किए गए। इसके पश्चात् अपीलार्थी द्वारा संशोधित शीर्ष

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/6022/2005/गंगानगर शंकरलाल बनाम मदनलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	भी पेश किया जा चुका है एवं पूर्व में जब मृतक राजेन्द्र के वारिसान को पक्षकार बनाए जाने बाबत् प्रा0 पत्र पेश किया गया उसमें रामप्यारी का नाम अंकित नहीं किया गया था व न ही रामप्यारी ने पूर्व में राजेन्द्र के वारिस होने एवं वारिसान में उसका नाम दर्ज करने का कोई प्रा0 पत्र पेश किया, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ अपील न्यायालय ने प्रा0 पत्र खारिज किया। यहां यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि रामप्यारी पत्नि भगवानाराम पूर्व में ही अपील में प्रत्यर्थी सं0 8 के रूप में पक्षकार है। हमारी राय में अधीनस्थ अपील न्यायालय का निर्णय उचित एवं विधिसम्मत है, जिसमें निगरानी के स्तर पर हस्तक्षेप किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः निगरानी सारहीन होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप यह निगरानी सारहहीन होने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली बाद तामील एवं तकमील दाखिल दफ्तर हों। निर्णय सुनाया गया। (शिखर अग्रवाल) सदस्य	